(80)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

———————

निगरानी 3700–एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 07.09.16 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बासौदा जिला विदिशा प्रकरण कमांक 11/अपील/2012–13

———————

प्रहलाद सिंह आ0 श्री नवल सिंह
निवासी बरेठा रोड गंजबासौदा
जिला विदिशा (म.प्र.) .....**आवेदक**

विरुद्ध

1. देवेन्द्रसिंह आ0 श्री मान सिंह
   निवासी ग्राम खाडेर तह0 नटेरन द्वारा
   कथित मुख्तार आम राजेन्द्रसिंह आ0 श्री मान सिंह
   निवासी सुभाष निकेतन वाली गली बरेठा
   रोड गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)
2. उम्मेदीबाई पुत्री श्री चिम्मन
   निवासी बुडापुरा गंजबासौदा जिला विदिशा
3. श्रीमती बन्दना जैन पत्नी श्री कैलाश चन्द्र जैन
   निवासी ई–17, अरेरा कॉलोनी भोपाल म0प्र0 .....**अनावेदकगण**

———————

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम सिंह ठाकुर

अनावेदक क. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश गिरी

———————

आदेश

(आज दिनांक 19/1/19 **को पारित)**

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बासौदा जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 11/अपील/2012–13 पारित आदेश दिनांक 07.09.2016 के विरुद्ध म.प्र.

भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 22.10.99 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। प्रकरण विचाराधीन रहने के दौरान आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 151 एवं आदेश 11 नियम 14 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया। जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 07.09.2016 द्वारा निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिए गए हैं कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 45(घ)(1) में स्पष्ट प्रावधान हैकि मुख्तारनामें का निष्पादन केवल 1 वर्ष की कालावधि के लिए किया जावेगा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील के साथ जो कथित मुख्तारनामा प्रस्तुत किया गया है वह दिनांक 16.06.2011 को निष्पादित किया गया है। इस तथ्य को स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आवेदन–पत्र में स्वीकार किया गया है। इस संबंध में आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समयावधि वाह्य मुख्तारनामें के संबंध में महत्वपूर्ण वैधानिक आपत्ति उठाई गई थी, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक द्वारा उठाई गई उक्त वैधानिक आपत्ति का निराकरण किए बिना ही आवेदन–पत्र को निरस्त करने मे त्रुटि की गई है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिए गए हैं कि मुख्तारनामा के निष्पादन के लिए मुख्तारनामें पर अधिकारदाता एवं अधिकारग्राहिता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यदि मुख्तारनामें पर दोनों पक्षों में से यदि एक पक्ष के हस्ताक्षर नहीं है तो मुख्तारनामे को वैधानिक नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील के साथ प्रस्तुत मुख्तारनामे पर अधिकारदाता देवेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर नहीं हैं। परिणामस्वरूप मुख्तारनामा प्रथम दृष्टया की अवैधानिक है। इसलिए ऐसे अवैधानिक मुख्तारनामे के

आधार पर श्री राजेन्द्र सिंह को अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिता ही नहीं थी, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक द्वारा उठाई गई उक्त वैधानिक आपत्ति का निराकरण किए बिना ही आवेदन–पत्र को निरस्त करने में त्रुटि की गई है।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अनावेदक द्वारा मुख्तारनामा दिनांक 16.06.11 की मूल प्रति आवेदन–पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 151 एवं आदेश 11 नियम 14 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। तथा इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने इस आधार पर आवेदक की ओर से प्रकरण की प्रचलनशीलता के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति आवेदन अंतर्गत धारा 151 सीपीसी आदेश 11 नियम 14 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है तथा अवधि विधान की धारा–5 के निराकरण के पश्चात उक्त आवेदन प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिए। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 2012 से लंबित है तथा प्रकरण पूर्व में राजस्व मण्डल तक आ चुका है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर